राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./3990/2002/भरतपुर

1- रामस्वरुप पुत्र परमसुख, जाति जाटव, निवासी निठार, तहसील वैर, जिला भरतपुर - फौत
1.1 जगनी बेवा रामस्वरुप
1.2 राजेन्द्र पुत्र रामस्वरुप
1.3 सुगर सिंह पुत्र रामस्वरुप
1.4 अंगूरी
1.5 विमला
1.6 मुकलेश
1.7 ललिता
} पुत्रियां रामस्वरुप
समस्त जाति जाटव, निवासी निठार, तहसील वैर, जिला भरतपुर

.......अपीलार्थी

बनाम

1- लक्ष्मन पुत्र लाला जाति मीना, निवासी निठार, तहसील वैर, जिला भरतपुर
2- राज0 सरकार ।

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित-
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 31.01.2020

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 91/2001 शीर्षक 'लक्ष्मन बनाम सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 03-11-2001 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक वाद अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 व 90, 81, 92ए, 209 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर, वैर के समक्ष राज्य पक्ष के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि आराजी स्थित ग्राम निठार खसरा नम्बर 1427 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा पर वादी पूर्वजों के समय से सम्वत् 2012 से पूर्व से खातेदारी कब्जे काश्त की है। वादी अनु0 जाति का सदस्यहै। प्रश्नगत आराजी निजी पोखर की है जो राज्य सरकार में कानूनन कभी जप्त नहीं हुई एवं खुदकाश्त की भूमि पर स्थित है। वादग्रस्त आराजी को मौके के खिलाफ राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दिया है। प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से वादी के ताऊ किशन को सम्वत् 2025 से अतिक्रमी दर्ज कर रखा है और सम्वत् 2055 से वादी को ट्रैस पासर दर्ज कर रखा है। प्रतिवादीगण व उनके कर्मचारियों ने रामस्वरुप व परमसुख के पट्टा कर दिया जिसे निरस्त कराने हेतु सन् 1970 से 1990 तक का समय लगा। नामांतरकरण संख्या 1576 दिनांक 23.9.1997 से वादग्रस्त

आराजी को पट्टाधारी व उसके वारिसान के नाम से हटाया जा कर सरकार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है, जब कि आराजी पर वादी काबिज है। उक्त नामांतरकरण होने के बाद वादी के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही की जाती रही है। वादपत्र में वादी ने अनुतोष चाहा कि दावा वादी डिक्री कर घोषणा की जाये कि वादग्रस्त आराजी वादी के खुदकाश्त कब्जे काश्त की है, प्रतिवादीगण के नाम की प्रविष्टियां निरस्त कर वादी के नाम अंकित की जावें, यदि खातेदारी देने में आपत्ति आये तो वादी को खुदकाश्त या गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किर्ये जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये। अनुवर्ती सहायता के रुप में यदि पाये जाये कि वादी के पक्ष में प्रकरण विनियमन का बनता है तो प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाये कि आराजी के वादी के हक में विनियमन होने तक प्रतिवादी वादी को आराजी से बेदखल नहीं करें। राज्य पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सम्वत् 2053-56 में वारानी अंकित है। पूर्व में प्राईवेट पोखर वादी की रही हो तो पता नहीं। मौके पर काबिल काश्त भूमि है जिस पर वादी का उसके पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। भूमि राज्य सरकार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सहायक कलक्टर, वैर ने निर्णय दिनांक 13.03.2001 से दावा वादी खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03-11-2001 से अपील अपीलार्थी स्वीकार की गई। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष यह अपील, धारा 96, जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।

3- उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र धारा 96, जाप्ता दीवानी एवं अपील में अंतिम बहस सुनी गई।

4- अपीलार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत प्रकरण ग्राम निठार स्थित खसरा नम्बर 1427 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा पोखर के सम्बन्ध में है और भूमि प्रार्थी व उसके पिता को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियम-1970 के तहत 5.10.1970 को आंवटित की गई थी और तभी से अपीलार्थी का इस पर कब्जा चला आ रहा है। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने दिनांक 25.4.1981 को आवंटन को निरस्त कर दिया था जिसके विरुद्ध माननीय मण्डल में निगरानी संख्या 33/81 प्रस्तुत की गई थी, जिसके तहत प्रार्थी पक्षकार रहा है। माननीय मण्डल को निर्णय दिनांक 27-1-1987 हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण में व्यथित व आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये।

5- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रकरण में बहस करते हुये निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1427 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा को प्रार्थी व उसके पिता परमसुख को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम-1970 के तहत दिनांक 5.10.1970 को आंवटित किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) को जिला कलक्टर, भरतपुर ने निर्णय दिनांक 9.2.72 से अस्वीकार किया था और इसकी अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने निर्णय दिनांक 2.9.1972 से अपील को स्वीकार कर आवंटन को निरस्त किया था। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय मण्डल में निगरानी संख्या 33/81 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें निर्णय दिनांक 27-1-1987 द्वारा अपील को अस्वीकार किया गया था। इस निर्णय की अभी तक पालना नहीं हुई है। प्रकरण में जानकारी होते हुये वादी द्वारा हमें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वादी की अपील को अविधिक रुप से स्वीकार किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत रुप से अनुतोष सहित 6 तनकियात कायम की थीं और प्रत्येक तनकी को विस्तृत परीक्षण करते हुये निर्णित किया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी भी तनकी को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवेचित नहीं किया है जब कि प्रकरण में जो मुख्य विवाद बिन्दु रहे हैं उनके अनुसार यह दस्तावेजी साक्ष्य से ही साबित हो सकता था कि आया आराजी वादी की पुश्तैनी, सम्वत् 2012 से पूर्व के कब्जे काश्त, खुदकाश्त की रही है या नहीं। क्या आराजी पोखर होने से इस पर धारा 16 के तहत खातेदारी वर्जित थी और क्या आराजी पूर्व में निजी सम्पत्ति की रही है या सार्वजनिक पोखर रही है। ये सभी बिन्दु विस्तृत रुप से तनकीवार विवेचन से ही तय हो सकते हैं, अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रुप से आदेश 41 नियम 31, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत बहाल रख जाये।

6- वादी/रैस्पो0 पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी प्रकरण में किसी प्रकार से व्यथित या हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं। जिस आवंटन व आवंटन के प्रकरण में माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 27-1-1987 को इन्होंने धारा 96 का आधार बनाया है उसके आधार पर, ये वर्तमान प्रकरण जो कि खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व अन्य रिलीफ का है, में पक्षकार बनने का अधिकार नहीं रखते हैं। अतः इनके द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र धारा 96, सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया जा कर अपील इसी आधार पर खारिज योग्य है।

7- योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1427 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा पर वादी का पूर्वजों के समय से सम्वत् 2012 से पूर्व से बतौर खातेदार कब्जा काश्त है। प्रश्नगत आराजी निजी पोखर की है जो राज्य सरकार में कानूनन कभी जप्त नहीं हुई एवं खुदकाश्त की भूमि पर स्थित है। प्रतिवादीगण व उनके कर्मचारियों ने रामस्वरुप व परमसुख के पट्टा कर दिया जिसे निरस्त कराने हेतु सन् 1970 से 1990 तक का समय लगा। नामांतरकरण संख्या 1576 दिनांक 23.9.1997 से वादग्रस्त आराजी को पट्टाधारी व उसके वारिसान के नाम से हटाया जा कर सरकार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है, जब कि आराजी पर वादी काबिज है। तहसीलदार, वैर के निर्णय दिनांक 8.3.1999 से वादी के पुराने कब्जे की पुष्टि होती है। वर्ष 1970 में जो आवंटन हुये उन्हें राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा निरस्त किया जा चुका है और इसके विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी को भी माननीय मण्डल ने निरस्त कर दिया है। पटवारी हल्का के बयानों में भी वादी का पुराना कब्जा माना है। जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें भूमि को गै0मु0 पोखर सार्वजनिक होना नहीं माना गया है बल्कि व्यक्तिगत सम्पत्ति माना गया है। अतः निजी घरु खेवट की भूमि होने से प्रकरण में धारा 16 आर0टी0ए0 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण मे विधिक रुप से परीक्षण करते हुये अपील को स्वीकार किया है। इस निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से अपील को खारिज किया जाये।

8- उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

9- हस्तगत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र धारा 96, जाप्ता दीवानी के परीक्षण में पाया जाता है कि प्रकरण में निहित आराजी खसरा नम्बर 1427 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा परमसुख व रामस्वरुप के पक्ष में आवंटित की गई थी जिसे निरस्त कराने हेतु किशनी व केशन्ती के नियम 14 (4) के प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर, भरतपुर ने निर्णय दिनांक 9.2.72 से अस्वीकार किया था और इसकी अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने निर्णय दिनांक 2.9.1972 से अपील को स्वीकार कर आवंटन को निरस्त किया था। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय मण्डल में निगरानी संख्या 33/81 परमसुख व रामस्वरुप(वर्तमान अपीलार्थी) की ओर से प्रस्तुत की गई थी, जिसमें निर्णय दिनांक 27-1-1987 द्वारा अपील को अस्वीकार किया गया था। स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर, वैर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वाद इसी भूमि के सम्बन्ध में है। अतः प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार होना प्रतीत है, फलतः अपील के साथ अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र धारा 96, जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जाता है और अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

10- प्रकरण में परीक्षण पर स्पष्ट है कि वादी/रैस्पो0 द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें यही उज्र लिया गया है कि खसरा नम्बर 1427 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वादीगण के पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त में चली आ रही निजी पोखर की भूमि है जो राज्य सरकार में कानूनन कभी जप्त नहीं हुई एवं खुदकाश्त की भूमि पर स्थित है। वादग्रस्त आराजी को मौके के खिलाफ राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दिया है। स्पष्ट है कि प्रकरण के जो तथ्य रहे हैं उनमें दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य तथा वर्तमान अपीलार्थीगण के जबाब को देखते हुये ये तय करना था कि क्या ये भूमि सम्वत् 2012 से पूर्व से वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि रही है? क्या प्रश्नगत भूमि वादीगण की खुदकाश्त की निजी पोखर की भूमि रही है या गै0मु0 सार्वजनिक पोखर की भूमि रही है? क्या प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू होते हैं? स्पष्ट है कि प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के स्तर पर विधिवत रुप से अनुतोष सहित 6 विवाद्यक कायम किये गये हैं और सभी को आदेश 20 नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसरण में विस्तृत विवेचन उपरान्त तय किया गया है किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में निहित आवश्यक विवाद बिन्दुओं को तनकीवार विवेचित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जब कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के स्तर से अपेक्षित था कि वे विधिवत रुप से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के सुसंगत प्रावधानों की अनुपालना में निर्णय पारित करते। इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पलटा है किन्तु निर्णय को पलटने के कारण विस्तार से विवेचित नहीं किए गए हैं जो कि स्पष्ट रुप से नॉन-रीजण्ड व नॉन-स्पीकिंग निर्णय की तारीफ में आता है।

11- फलतः अपील स्वीकार की जा कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 91/2001 शीर्षक 'लक्ष्मन बनाम सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 03-11-2001 को निरस्त करते हुये प्रकरण उन्हें इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को विधिवत

रुप से सुनवाई व पक्ष रखने का न्यायोचित अवसर प्रदान करते हुये, उपरोक्त विवेचनानुसार आदेश 41 नियम 31, जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अनुसरण में रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित करें। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 19.2.2020 को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायाालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य